न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0कं0–निगरानी /16 सीहोर

(1) **हेम सिंह** पुत्र श्री श्रीकिशन
(2) **धन सिंह** पुत्र श्री श्रीकिशन
(3) **बने सिंह** पुत्र श्री श्रीकिशन
(4) **कैलाश** पुत्र श्री श्रीकिशन
निवासीगण–ग्राम सेमरादांगी, तह0–सीहोर,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ---- **निगरानीकर्तागण**

विरुद्ध

राजेश शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा
निवासी–ग्राम सेमरादांगी, तह0–सीहोर,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ---- **प्रत्यर्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959

महोदय,

विद्वान तहसीलदार महोदय, सीहोर द्वारा प्र0कं0–1/अ–70 /16–17 में पारित आदेश दिनाँक 15.11.2016 से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने तथाकथित कागजी सीमांकन के आधार पर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण के विरुद्ध विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम सेमरादांगी खसरा कं0–312/2, 313 पर अवैध कब्जा पाया जाना बताते हुए आवेदन अंतर्गत धारा–250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर से विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण को आहूत किया गया, निगरानीकर्तागण द्वारा विधिवत प्रमाण (न्यायालय श्रीमति सविता सिंह तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीहोर व्य0 वाद कं0–2–ए/99 में पारित आदेश दि. 22.06.99 एवं 23.09.03) सहित जवाब इस आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया, कि निगरानीकर्ता

निरंतर 2

10- रविता पुत्री स्व॰ रामपुरी साकिन दुरेह, तहसील नागौद, जिला सतना

म0प्र0 - --- अनावेदकगण

निगरानी/आवेदन विरूद्ध आदेश न्यायालय

अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 के प्र॰ क्र॰ 69/अपील/2011-12, आदेश दिनांक 5॰8॰15, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई॰।

माननीय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 5॰8॰15 विधि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि अपीलान्ट स्व॰ रामपुरी बा॰ की मृत्यु दिनांक 8॰11॰13 को हो चुकी थी, तथा उक्त मृतक के वारिशो द्वारा दिनांक 11॰2॰14 को पक्षकार बनने का आवेदन देने का अवसर प्राप्त किया था, लेकिन आदेश 22 नियम 3 जा॰दी॰ के तहत आवेदन दिनांक 30॰9॰14 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन मृत्यु दिनांक 8॰11॰13 के 90 दिन के बाद प्रस्तुत किया गया था, जिससे उक्त विचाराधीन अपील एबेट हो चुकी थी, उक्त कानूनी बिन्दु पर बिना कोई विचार किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के वारिशो को पक्षकार बनाने का बेरूम्याद आवेदन स्वीकार करने मे कानूनी भूल की गई है, जिससे आदेश निरस्तगं योग्य है ।

3:- यह कि मृतक अपीलान्ट के वारिसो द्वारा मृत्यु दिनांक 8॰11॰13 के 10 माह 22 दिन बाद पक्षकार बनने का आवेदन दिया गया है, जिसमे धारा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ....12 4325-II/16.... जिला ....सीहोर....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.3.17.	आवेदक अभिभाषक श्री मेहरबान सिंह उपस्थित। उनके द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक प्रकरण आगे संचालित नहीं करना चाहता है। अतः आवेदक अभि0 का अनुरोध स्वीकार कर प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अध्यक्ष	प्रकरण प्रार्थी आगे नहीं चलाना चाहते। उनके स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र फोटो रिकार्ड पर लिया। इसी स्तर पर समाप्त किया जावे। [signature]
M		

[कृ. प. उ.